न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 06/2020 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 29.07.2020
G.C.M.S. NO. :- 2020/00031

भंवरलाल पिता भैरा सुथार, उम्र वयस्क, निवासी पराणा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

1–केशुराम पिता किशनलाल ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी करसाणा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
2–भूरी बाई पत्नि केशुराम ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी करसाणा, तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़
3–सरकार भूमिधारी तहसीलदार, डूंगला, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं भूआवंटन कमेटी, बडीसादडी प्रकरण संख्या 1017/2002 आवंटन दिनांक 15.01.2002

उपस्थितिः–1– श्री चन्दनमल जणवा, अधिवक्ता प्रार्थी

प्र. सं. 06/2020 (रा.प्रा.पत्र)
भंवरलाल पिता भैरा सुथार निवासी पराणा, तहसील डूंगला बनाम केशुराम पिता किशनलाल ब्राह्मण निवासी करसाणा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

निर्णय

दिनांक 04.07.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू आवंटन नियम, 1970 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ भू आवंटन कमेटी ने विपक्षी संख्या 1 व 2 को राजस्व ग्राम पराणा पटवार हल्का करसाना, तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 338/8 रकबा 2.00 बीघा भूमि का पटवारी हल्का करसाना की रिपोर्ट को आधार मानते हुए गलत रूप से मौके पर विपक्षी संख्या 1 व 2 का कब्जा नहीं होते हुए भी बिना किसी जांच पड़ताल के आवंटित कर दी जो पूर्णतया विधि विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पत कुमार जणवा ने अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षी संख्या 3 भूमिधारी तहसीलदार है। संबंधित भूआवंटन पत्रावली तलब की गई। उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 1 व 2 तथा उनके अधिवक्ता के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुन प्रकरण गुणावगुण पर देखा।

अधिवक्ता प्रार्थी का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ भू आवंटन कमेटी द्वारा पारित आवंटन आदेश न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है क्योंकि अधीनस्थ भू आवंटन कमेटी ने बिना किसी जांच पड़ताल किये राजस्व ग्राम पराणा, पटवार हल्का करसाना, तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 338/8 रकबा 2.00 बीघा भूमि पटवार हल्का करसाना की रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित कर दी जो निरस्त योग्य है। आवंटित आराजीयात पर विपक्षीगण का कभी भी कब्जा व काश्त नहीं रहा है मौके पर प्रार्थी का कब्जा निर्बाध 30 वर्षों से भी अधिक समय से चला आ रहा है।

फिर भी अधीनस्थ भू आवंटन कमेटी ने पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानते हुए उक्त आराजी का विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में आवंटन कर दिया जो निरस्त योग्य है। आवंटित आराजी नम्बर 338/8 के भूप्रबन्ध के दौरान नवीन आराजी नम्बर 338/17 रकबा 0.4320 हैक्टेयर कायम किये जिस पर आवंटन से पूर्व ही निगराकार का निरंतर व निर्बाध कब्जा-काश्त चला आ रहा है। आवंटी भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है आवंटन करने से पूर्व आवंटित आराजीयात के संबंध में किसी प्रकार की कोई उद्घोषणा का प्रकाशन नहीं करया व ना ही आम सूचना प्रकाशित करवाई। विपक्षी संख्या 1 व 2 जाति से ब्राह्मण होकर पण्डिताई का कार्य करते हैं तथा उनके खाते में तीन-चार बीघा कृषि भूमि है जबकि प्रार्थी भूमिहीन काश्तकार है। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने आवंटन शर्तों की पालना भी नहीं की है। भूमि वक्त आवंटन प्रार्थी के कब्जे काश्त में थी फिर भी प्रार्थी को बेदखल किए बगैर उक्त आराजी विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित कर दी जो अपने आप में निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम पराना, पटवार हल्का करसाना, तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 338/17 रकबा 0.4320 है. का आवंटन आदेश निरस्त फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया एवं प्रकरण को गुणावगुण पर देखा। जिसके अनुसार अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में राजस्व ग्राम पराना, पटवार हल्का करसाना, तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 338/8 रकबा 2.00 बीघा भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 को भू आंवटन कमेटी बडीसादडी द्वारा आवंटित की गई है जिसका आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रथम तो अतिक्रमी के कब्जे की भूमि को ओक्यूपाईड़ भूमि नहीं माना जा सकता है। द्वितीय प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी के आवंटन बाबत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, यदि उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे में थी और प्रार्थी भू आवंटन का पात्र था तो उसे आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये था। आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये बिना उसे भूमि आवंटन करने बाबत भू आवंटन सलाहकार समिति विचार नहीं कर सकती।

अधीनस्थ कार्यालय की भू आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 ने भूमिहीन होने से ग्राम पराणा में भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं बाद जांच भूआवंटन सलाहकार समिति की राय पर उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी ने ग्राम पराणा की आराजी नम्बर 338/8 रकबा 2.00 बीघा भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित की एवं आवंटित भूमि का उन्हें कब्जा सिपुर्द किया गया।

यदि आवंटित भूमि पर प्रार्थी का आवंटन से पूर्व ही कब्जा-काश्त था तो उसे भी नियमानुसार उक्त भूमि के आवंटन हेतु आवेदन कर भूमि आंवटन/नियमन करानी चाहिए थी जो कि प्रार्थी के द्वारा नहीं करवाई गई। साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उक्त विवादित आवंटित आराजीयात पर प्रार्थी के कब्जे-काश्त संबंधी कथन की पुष्टि होती हो तथा न ही प्रार्थना पत्र में वर्णित अन्य तथ्यों को भी प्रमाणित कराया है। प्रार्थी द्वारा मात्र प्रार्थना पत्र में आवंटन से पूर्व का उसका कब्जा-काश्त होने संबंधित कथन कर देने या तथ्य वर्णित कर देने के आधार पर लगभग 22 वर्ष पुराना आवंटन निरस्त किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)